न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

14

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 31/2020

सूबेदार घनश्याम शर्मा, ग्रा0पो0 सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.06.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 31/2020 पर दिनांक 09.06.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /575–576 दिनांक 11.06.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20 /1294 दिनांक 22.06.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 24.02.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी से संबंधित होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 410 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को अन्तरित की गई है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1294 दिनांक 22.06.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 24.02.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी से संबंधित होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 410 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को अन्तरित की गई है। अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। **लो0सू0अ0** (अति. जिला कलक्टर) **झुंझुनूं को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।**
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू